FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

CF R 15/197

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

125-PBR/2001

प्र0क्र0 /2001 पुनरीक्षण

मा0 सदस्य श्री .... द्वारा आज दि0 23/4/2001 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

23 APR 2001

1- धूपसिंह } पुत्रगण तोरनसिंह
2- परतापसिंह

3- सरदारसिंह } पुत्रगण काशीराम
4- गुलाबसिंह
5- प्रकाशसिंह

6- कोलाई विधवा पत्नी काशीराम

निवासीगण ग्राम सिंघाडा तहसील मुंगावली

जिला गुना ------- आवेदकगण

विरुद्ध

1- लाखनसिंह पुत्र पूरनसिंह

2- घासीराम } पुत्रगण हरचन्द
3- लाड़ूलाल

निवासीगण ग्राम सिंघाडा तहसील मुंगावली

जिला गुना ------- अनावेदकगण

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 231/87-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-2-2001 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

23-4-2001

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, [illegible] तथा मनमाना होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 725–पीबीआर/2001 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17--11–16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। 4/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 231/1987–88/अपील में पारित आदेश दिनांक 09–02–2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 5/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बेगमपुर के सर्वे क्र0 46 रकबा 2.195 है0 पर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की मांग की गई। जिसे तहसीलदार ने	

स्वीकार किया है । आवेदकगण ने अपने तर्क में विक्रय अधिकार न होने संबंधी तर्क उठाये है, इस बिन्दू का विनिश्चय व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जावेगा। व्यवहार न्यायालया में प्रकरण अभी विचाराधीन है । अभिलेख के संलग्न व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मुंगावली के प्र0क्र0 378–ए/83 दी. में पारित आदेश दिनांक 08.08.84 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि अनावेदक क्र0 1 लखनसिंह के पक्ष में आवेदकगण के विरूद्ध अस्थाई विषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण विवादित भूमि पर स्वयं अथवा अपने नौकरों द्वारा किसी प्रकार का दखल न देवें । तहसीलदार का आदेश व्यवहार न्यायालय के बाद का है एवं व्यवहार न्यायालय के स्थंगन आदेश के अनुरूप ही प्रतीत होता है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में इस स्थंगन आदेश का उल्लेख अवश्य किया है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण है। अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने विस्तृत आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है। मैं अपर आयुक्त ग्वालियर के इस निर्णय से सहमत हूँ।

6/अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त ग्वायिलर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–02–2001 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

सदस्य